अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बीरम बनाम ओमप्रकाश वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधि0
प्रकरण संख्या. 114 / 2023(अजमेर)

रिमाण्ड
28/3/23

	श्री दीपक पारिक एडवोकेट	
27.03.2023	बीरम बनाम ओमप्रकाश (114 / 2023) यह अपील श्री दीपक पारिक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 19.01.2023, प्रकरण संख्या 5/2023 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु रिजर्व रखी जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
28.03.2023	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 27.03.2023 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई न्यायोचित आदेश पतिर नही कर केवल मात्र नोटिस जारी करने का आदेश प्रदान कर दिया। तत्पश्चात आज दिनांक तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। दिनांक 23.03.2023 को जब प्रार्थी अपने अधिवक्ता से प्रकरण की जानकारी हेतु मिला तो उनके द्वारा बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा को ई आदेश पारित नही किया जा रहा है। जिससे प्रार्थी अपने अधिवक्ता की सलाह अनुसार उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं उचित प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील का निरस्तारण गुणावगुण पर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अपीलांट द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था तथा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया था कि विवादित	

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बीरम बनाम ओमप्रकाश वगैरह
किस्म मुकदमा–225 राज0काश्त0अधि0
प्रकरण संख्या. 114/2023(अजमेर)

आराजीयात अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जिसे रेस्पोडेन्ट ने फर्जी बेचान के आधार पर अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवा लिया है एवं अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल करने पर आमादा है जिन्हे पाबंद किया जावे। जिस बाबत वाद बाहुल्यता को रोकने के उद्देश्य से विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेन्टस को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश दिनांक 19.01.2023 में प्रकरण अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं कर मात्र रेस्पोडेन्ट्स को अनावश्यक लाभ प्रदान करते हुए आगामी पेशी प्रदान कर रेस्पोडेन्टस को विवादित आराजीयात बाबत रहन, बय, मुंतकिल एवं अन्य निर्माण कार्य व अन्यथा हस्तान्तरण किय जाने की खुली छूट प्रदान कर दी। अतः उक्त आदेश की आड में अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय मुंतकिल करने पर आमादा है जिसमें यदि वे सफल हो गए तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को पावन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय, मुंतकिल नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। यदि प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी को सरंक्षित नहीं किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं किन्तु उभय पक्षकारों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी पर किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पावंद कर वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। अतः न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner